न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 23/2013 **दायरा दिनांक : 11.01.2013**

उनवान

श्रीमती मोहनबाई पुत्री भैरूजी पत्नी अमरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पनवासा नायब तहसील असनावर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती चन्दरबाई पुत्री भैरूजी पत्नी घीसालाल जाति मीणा निवासी ग्राम जेतली तहसील जीरापुर जिला राजगढ (म0प्र0)

2— श्रीमती लीलाबाई पुत्री श्री भैरूजी बेबा हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम नसीराबाद उप तहसील बकानी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

3— श्रीमती गायत्रीबाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नसीराबाद उप तहसील बकानी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

4— रमेशचन्द पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नसीराबाद उप तहसील बकानी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

5— जगन्नाथ वल्द बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नसीराबाद नायब तहसील बकानी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

6— देवबाई बेवा भैरूजी जाति मीणा निवासी ग्राम नसीराबाद तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री राकेश जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री शिवलाल लोधा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.04.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या — 563/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम नसीराबाद, तहसील झालरापाटन में खतौनी संख्या नयी 258 पुरानी 164 की 11 किता की 25 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित है । ग्राम हरिपुरा, तहसील झालरापाटन में खतौनी संख्या नयी 149 पुरानी

95 की 4 किता की 5 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित है । यह आराजी भैरूजी के खाते की थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके 4 पुत्रियां वादिनी मोहन बाई चन्दरबाई मूलाबाई मृतक धापू बाई और पत्नी देव बाई मौजूद है । उनके कोई पुत्र नहीं है । धापू बाई की मृत्यु हो चुकी है । प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 5 उनके वारिस हैं । प्रतिवादी नम्बर 4 और 5 ने गलत रूप से स्वयं को भैरू जी का उत्तराधिकारी घोषित करवा नामान्तरकरण संख्या 531 और 328 से वादग्रस्त आराजी अपने खाते दर्ज करवा लिया है । वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/5 हिस्सा है जिसे वो अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारिणी है । अतः वादिनी का दावा स्वीकार कर वादिनी को 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 18.12.2012 से दावा वादिनी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है । दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया है । प्रदर्श 3 नामान्तरकरण संख्या 466 को देखा ही नहीं है । इसमें भैरूजी की वंशावली का वर्णन है । बयानों को नहीं पढा है और न ही उनका उल्लेख अपने निर्णय में किया है । वसीयत गवाहों से प्रमाणित नहीं है । पूर्व दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ था । वादिनी ने प्रतिवादी नम्बर 4, 5 से कोई राजीनामा नहीं किया है । पूर्व दावे के निर्णय से वर्तमान दावा रेसज्यूडीकेटा से बाधित नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी भैरूजी की है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनके 4 पुत्रियां है जिनमें से धापू बाई की मृत्यु हो चुकी हे । रमेश एवं जगन्नाथ , धापू बाई के पुत्र हैं । पूर्व में जो दावा था वह अदम हाजरी में खारिज हुआ था । उससे यह दावा रेसज्यूडीकेटा से बाधित नहीं माना जा सकता । वसीयत गवाहों से प्रमाणित नहीं है । दो वसीयत पेश की गई है । वसीयत पर वसीयतग्रहिता का फोटो है जो नहीं होना चाहिए । धारा 11 की आपत्ति प्रतिवादीगण की थी परन्तु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया इस बाबत तनकी भी नहीं बनायी गयी । पूर्व का निर्णय गुणावगुण पर पारित नहीं किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2060–63 एक्जीविट 1 सलंग्न है जिसमें 11 किता की 25 बीघा 9 बिस्वा आराजी रमेश और जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2059–62 एक्जीविट पी 2 के अनुसार 4 किता की 5 बीघा 9 बिस्वा रमेश और जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । एक्जीविट 3 नामान्तरकरण संख्या 466 की प्रति है । एक्जीविट 4 नामान्तरकरण संख्या 531 की प्रति है । एक्जीविट 5 नामान्तरकरण संख्या 328 की प्रति है । नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67 एक्जीविट ए 1 और नकल जमाबंदी सम्वत 2063–65 एक्जीविट ए 2 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है, जिसमें

वादग्रस्त आराजी रमेश और जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । एक्जीविट ए 3 अतिरिक्त जिला कलेक्टर झालावाड के निर्णय दिनांक 30.09.2000 की प्रति है । एक्जीविट ए 4 नायब तहसीलदार बकानी के निर्णय दिनांक 27.01.2001 की प्रति है । एक्जीविट ए 5 अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 09.09.2002 की प्रति है । एक्जीविट ए 6 संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 16.12.2006 की प्रति है । एक्जीविट ए 7 नामान्तरकरण संख्या 328 की प्रति है । एक्जीविट ए 8 नामान्तरकरण संख्या 531 की प्रति है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड के निर्णय दिनांक 23.01.2001 की प्रमाणित प्रति एक्जीविट ए 9 है । राजीनामे की प्रमाणित प्रति एक्जीविट ए 11, वसीयत दिनांक 22.05.1997 की फोटो प्रति एक्जीविट ए 12 ए, वसीयत दिनांक 22.05.1997 की प्रमाणित प्रति एक्जीविट ए 12 पेश की है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड में पेश किये गये दावे में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2007 की प्रमाणित प्रति एक्जीविट ए 13 है । बयान वादिनी मोहन बाई कराये गये हैं । प्रतिवादी की ओर से बयान जगन्नाथ व चन्दर बाई कराये गये हैं । बयानात पर पी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं किया गया है ।

7 वादिनी के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा विभाजन का दावा पेश किया गया है कि वो स्वर्गीय भैरू की पुत्री है और वादग्रस्त आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । प्रतिवादीगण रमेश चन्द और जगन्नाथ का यह कथन है कि उनके पक्ष में भैरूजी ने वसीयत का निष्पादन किया था इस कारण वादग्रस्त आराजी अपने खाते में दर्ज कराने के वो अधिकारी है । पक्षकारों के मध्य नामान्तरकरण को लेकर भी विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लम्बित रहे हैं, परन्तु नामान्तरकरण एक फिसकल प्रक्रिया होती है जो पक्षकारों के अधिकार व स्वत्व तय नहीं करती है । एक दावा जिसके कि निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई हैं वो रमेश चन्द एवं जगन्नाथ के द्वारा चन्दर बाई, मोहनी बाई व अन्य के खिलाफ अन्तर्गत

धारा 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया था । इस दावे में पेश किये गये दस्तावेजात के आधार पर वादीगण और चन्दरबाई के मध्य राजीनामा हुआ था शेष पक्षकारान के मध्य दावा चल रहा था और इस दावे को दिनांक 26.03.2007 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है । जो दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाता है उसके आधार पर अन्य दावा रेसज्यूडीकेटा से बाधित नहीं होता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 का निर्णय गलत रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में किया है । तनकी नम्बर 4 मियाद के बाबत है और हक घोषणा के दावे की कोई मियाद नहीं होती है । तदनुसार तनकी नम्बर 4 का निर्धारण भी विधि विरूद्ध रूप से किया गया है । तनकी नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 4 और 5 के पक्ष में की गई वसीयत के बाबत है । इस क्रम में पत्रावली में सलंग्न वसीयत की प्रति एक्जीविट ए 12 का अवलोकन किया गया । इस वसीयत के दो गवाह है जगन्नाथ और देवी लाल । गवाहों के पिता का नाम अंकित नहीं है और इन दोनों गवाहों में से एक भी गवाह न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । इस प्रकार वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का निर्णय भी विधि विरूद्ध पारित किया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो ओल्ड हिन्दू ला से शासित होते हैं । अतः प्रकरण को हम पक्षकारों के स्वत्व ओल्ड हिन्दू ला के अनुसार निर्धारण हेतु अधीनस्थ नयायालय को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं ।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 7 में किये गये विवेचन के अनुसार पक्षकारों के अधिकार

एवं स्वत्व ओल्ड हिन्दू ला के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.06.2018 को उपस्थित होवें ।

9 निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा